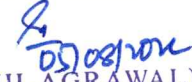


भाग-IV
(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाँच और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	दमोह जिले के अन्तर्गत वनमण्डल दमोह में सतधारु जलाशय मध्यम सिंचाई (प्रेशराईज्ड पद्धति योजना) परियोजना के कार्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावित सब स्टेशन बनाये जाने हेतु 0.980 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि: 05/08/2022

स्थान: भोपाल


(SUNIL AGRAWAL)
Addl. P.C.C.F. (L.M.)
Madhya Pradesh, Bhopal